

न्यायालय: विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ,पॉक्सो, प्रथम, ज्ञानपुर-भदोही।

उपस्थित : लोकेश कुमार मिश्रा (एच.जे.एस.)

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-254 सन् 2026



सी.एन.आर.यू.पी.एस.नं.01000768-2026

सरिता देवी यादव उम्र त० 63 वर्ष पुत्री घनश्याम निवासी बस स्टेशन जी.टी. रोड गोपीगंज, थाना गोपीगंज जनपद भदोही।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन।

मुकदमा अपराध संख्या 64 सन् 2025

धारा-419, 420, 406 भारतीय

दण्ड संहिता, थाना-ज्ञानपुर, जिला भदोही।

24.03.2026

1. प्रार्थिनी/अभियुक्ता सरिता देवी यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 64 सन् 2025 अन्तर्गत धारा-419, 420, 406,120B भारतीय दण्ड संहिता, थाना ज्ञानपुर,, जिला भदोही के प्रकरण में अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि बैंकिंग गतिविधियों के अनुक्रम में प्रार्थी बैंक की ज्ञानपुर शाखा के द्वारा स्वर्ण आभूषण ऋण हेतु बैंक के प्राधिकृत स्वर्ण आभूषण मूल्यांकन/जांचकर्ता के रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित व्यक्तियों को स्वर्ण आभूषण ऋण दिया गया है जिनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है - ग्राहक का नाम सरिता देवी यादव मूल्यांकन जांचकर्ता का नाम राजू सेठ स्वर्ण आभूषण का बाजार मूल्य रुपये में 3,94,366/-ऋण स्वीकृत धनराशि रुपये में 3,00,000/-ऋण धनराशि दिये जो कि तिथि 12.07.2023 ग्राहक का पता पुत्री घनश्याम यादव निवासी बस स्टेशन जीटी रोड गोपीगंज ग्राहक का नाम विनोद कुमार मूल्यांकन जांचकर्ता का नाम राजू सेठ स्वर्ण आभूषण का बाजार मूल्य रुपया में 436369/-ऋण स्वीकृत धनराशि रुपया-3,00,000/-ऋण धनराशि दिये जाने की तिथि 24.01.2024 ग्राहक का पता पुत्र सभा शंकर निवासी अभोली, गदौउरा भदोही 221404 ग्राहक का नाम कन्हैया लाल तिवारी मूल्यांकन जांचकर्ता का नाम राजू सेठ स्वर्ण आभूषण का बाजार मूल्य रुपये में 785269/-ऋण स्वीकृत धनराशि रुपया 5,00,000/-ऋण धनराशि दिये जाने की

तिथि 24.01.2023 ग्राहक का पता पुत्र पंच राज तिवारी निवासी गुदरीपुर, गोपीगंज, भदोही 221303 ग्राहक का नाम रंजना यादव मूल्यांक जांचकर्ता का नाम राजू सेठ स्वर्ण आभूषण का बाजार मूल्य रुपया में 716062 ऋण स्वीकृत धनराशि रुपये में 525000/- ऋण धनराशि दिये जाने की तिथि 24.05.2023 ई० ग्राहक का पता पुत्री घनश्याम यादव निवासी एच एन 58 बी कृष्ण नगर किटगंज इलाहाबाद सिटी 211003 ग्राहक का नाम रंजना यादव मूल्यांक जांचकर्ता का नाम राजू सेठ स्वर्ण आभूषण का बाजार मूल्य रुपये में 702445/- ऋण स्वीकृत धनराशि में 5,00,000/- ऋण धनराशि दिये जाने की तिथि 15.05.2023 ग्राहक का पता पुत्री घनश्याम यादव निवासी एच एन 58 बी कृष्ण नगर कीटगंज इलाहाबाद सिटी 2110003 ग्राहक का नाम स्रीश कुमार श्रीवास्तव मूल्यांकन जांचकर्ता का नाम राजू सेठ स्वर्ण आभूषण का बाजार मूल्य रुपये में 431100/- ऋण स्वीकृत धनराशि रुपये में 3,00,000/- ऋण धनराशि दिये जाने की तिथि 24.07.2023 ग्राहक का पता पुत्र सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव निवासी 151/सी राजरूपपुर प्रयागराज 211011 ग्राहक का नाम ममता मूल्यांकन जांचकर्ता का नाम राजू सेठ स्वर्ण आभूषण का बाजार मूल्य रुपये में 59500/- ऋण स्वीकृत धनराशि रुपये में 45000/- ऋण धनराशि दिये जाने की तिथि 14.12.2021 ई० ग्राहक का पता पुत्री कैलाश तिवारी निवासी शुकुलपुर बइरईचा, भदोही द्वारा बैंकिंग नियमों के अनुरूप उक्त स्वर्ण आभूषणों की जांच के लिए प्राधिकृत स्वर्ण जांचकर्ता के रूप में श्री राजू सेठ पुत्र श्री बसन्त लाल सेठ, पता दुर्गामंदिर के पास गोपीगंज, भदोही को प्रतिनियुक्त किया गया, जिसके उपरान्त प्राधिकृत स्वर्ण जांचकर्ता राजू सेठ द्वारा वास्तविकता, शुद्धता और आंतरिक मूल्य के बारे में उचित जांच सत्यापन करते हुए स्वर्ण ऋण मूल्यांकन प्रमाण-पत्र दिया गया। उपरोक्त सभी व्यक्तियों को दिये गये स्वर्ण आभूषण की कुल शुद्ध वजन 575.23/-ग्राम है। उपरोक्त सभी लोग अपने ऋण खाते को निर्धारित बैंकिंग नियमों व शर्तों के अनुरूप रखने में विफल रहे, जिससे इनका खाता एनपीए/गैर निष्पादित सम्पत्ति की श्रेणी में चला गया। पुनः मूल्यांकन दिनांक 27.01.2025/28.01.2025 को क्षेत्रीय प्रबंधक अंचल कुमार द्वारा कराया जाना नोटिस में दर्शित है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.03.2025 को क्षेत्रीय प्रबंधक अंचल कुमार द्वारा थाना ज्ञानपुर में दर्ज कराया गया है व 60 दिन से अधिक विलम्ब है, जिसके विलम्ब का कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। मुख्य प्रबंधक इण्डियन बैंक क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी द्वारा पत्रांक ZOV/INSP/2024-2025/218 दिनांकित 28.01.2025 ई० जिसे ज्ञानपुर शाखा में नकली आभूषणों की पहचान न करने का स्पष्टीकरण/कारण बताओं नोटिस अभियुक्त राजू सेठ को दिनांक 05.03.2025 को रजिस्टर्ड डाक से भेजा था, जिसका जवाब

अभियुक्त की तरफ से दिनांक 11.03.2025 को जरिए रजिस्टर्ड डाक दिया गया जवाब नोटिस के कारणों को नजरअंदाज करके एफ०आई०आर दिनांक 28.03.2025 को कराया गया है।

3. प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रार्थिनी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पूर्व प्रार्थिनी का कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र नियमित अथवा अग्रिम माननीय न्यायालय में न तो दाखिल किया गया है और प्रार्थिनी का कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है। यह कि प्रार्थिनी का मामला धारा 438 सी०आर०पी०सी० की उपधारा (6) तथा 482 बी०एन०एस०एस० की उपधारा 4 में वर्णित बी०एन०एस० की धारा 65 व 70 की उपधारा 2 से आच्छादित नहीं है। प्रार्थिनी का कोई पूर्व में आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही किसी अपराध के बावत् पूर्व में कोई सजा हुई है। थाना ज्ञानपुर की पुलिस द्वारा प्रार्थिनी को गिरफ्तार करके प्रार्थिनी को अपमानित करना चाहती है तथा क्षति पहुँचाना चाहती है। प्रार्थिनी दौरान विवेचना विवेचनाधिकारी के समक्ष उपलब्ध रही है और विवेचना में सहयोग किया है और भविष्य में भी रहेगी और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिन्न व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा या धमकी नहीं देगी तथा न्यायालय की आज्ञा के बिना देश नहीं छोड़ेगी तथा माननीय न्यायालय में दौरान ट्रायल स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगी। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.03.2025 क्षेत्रीय प्रबन्धक संचित कुमार द्वारा ज्ञानपुर थाने में दर्ज करायी गयी है जबकि गिरवी रखे गये गोल्ड जिनके आधार पर प्रार्थिनी को बैंक द्वारा लोन दिया गया था उसका पुनः मूल्यांकन दिनांक 27.01.2025/28.01.2025 ई० को क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा कराया गया है। जबकि घटना की रिपोर्ट 60 दिन से अधिक विलम्ब से थाना ज्ञानपुर में दर्ज की गयी है और इस विलम्ब का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा दौरान विवेचना वादी मुकदमा नहीं दिया गया है। प्रार्थिनी के साथ अन्य लोन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भी अभियुक्त बनाया गया है। गोल्ड लोन लेते समय प्रार्थिनी के सोने के आभूषणों की जाँच बैंक द्वारा नियुक्त स्वर्ण आभूषण मूल्यांकक द्वारा करायी गयी है और इसी आधार पर प्रार्थिनी को बैंक द्वारा लोन दिया गया था। उक्त मूल्यांकक राजू सेठ बैंक द्वारा नियुक्त मूल्यांकक कर्ता है न कि प्रार्थिनी से उसका कोई सम्बन्ध था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थिनी के विरुद्ध झूठा आरोप निराधार रूप से लगाया गया है क्योंकि पुनर्मूल्यांकन के समय प्रार्थिनी को बैंक द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी गयी थी। प्रार्थिनी द्वारा जमा किये गये स्वर्ण आभूषण का मूल्यांकन प्रार्थिनी के सामने हुआ था तब सभी आभूषण असली थी

जिसकी पुष्टि बैंक के मूल्यांकककर्ता व जॉचकर्ता राजू सेठ द्वारा प्रमाणित किया गया था और जब दूसरी बार पुर्नमूल्यांकक किया गया तो किसी प्रकार की कोई सूचना प्रार्थिनी को नहीं दी गयी और न ही प्रार्थिनी के सामने दूसरी बार पुर्नमूल्यांकन के समय प्रार्थिनी को उपस्थित रहने हेतु कोई नोटिस ही दी गयी है। बैंक की ओर से स्वर्ण आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण देने में बैंक द्वारा नियुक्ति/अधिकृत मूल्यांकक से जॉच करायी जाती है उसके बैंक ग्राहकों का स्वर्ण आभूषण सुरक्षित अभिरक्षा में रखकर उसपर ऋण दिया जाता है प्रार्थिनी ने किन दस्तावेजों की कूटरचना करते हुये नकली स्वर्ण आभूषण को गिरवी रखकर ऋण प्राप्त किया, यह दर्शित नहीं है। तत्कालीन बैंक मैनेजर एवं कैशियर द्वारा यदि कोई स्वर्ण आभूषणों की हेरा फेरी की गयी है तो प्रार्थिनी उस मामले में अभियुक्त नहीं बनायी जा सकती है। दौरान विवेचना विवेचनाधिकारी द्वारा तत्कालीन बैंक मैनेजर एवं कैशियर को न तो अभियुक्त बनाया और न ही उनसे पूछताछ ही की गयी। उक्त बैंक मैनेजर व कैशियर ग्राहकों का स्वर्ण आभूषण उचित तरीके से सील कर उसे उचित अभिरक्षा में रखते है जबकि इस मामले में यह दर्शित नहीं किया गया है कि प्रार्थिनी का कोई बेईमानीपूर्वक आशय विद्यमान था। सम्पूर्ण विवेचना से यह तथ्य स्पष्ट नहीं है कि किन दस्तावेज की कूटरचना की गयी है तथा यह भी दर्शित नहीं किया गया है कि प्रथम दृष्टया उक्त स्वर्ण आभूषण जिनकी वास्तविक शुद्धता व आन्तरिक मूल्य के सम्बन्ध में जॉच सत्यापन करने के पश्चात् स्वर्ण प्रमाण पत्र दिया जाता है और आभूषण को बैंक की अभिरक्षा में रखा जाता है। बैंक द्वारा नियुक्त मूल्यांकक राजू सेठ द्वारा प्रार्थिनी के द्वारा जमा किये गये स्वर्ण आभूषण की बाजारु कीमत-394366/- रुपया निर्धारित की गयी है तथा प्रार्थिनी को ऋण स्वीकृति धनराशि मु 0 300000 /- रुपये दिनांक 12.07.2023 ई0 को प्रदान की गयी है। जिसमें प्रार्थिनी द्वारा मु० 150000/-रुपये ऋण बैंक को नियमानुसार अदा किया गया है। प्रार्थिनी को गोल्ड लोन बैंक द्वारा बैंकिंग नियमानुसार दिया गया है पहले स्वर्ण आभूषण बैंक को नियमानुसार दिया गया और बैंक द्वारा अपनी आन्तरिक परीक्षण में प्रार्थिनी के द्वारा दिये गये आभूषण को शुद्ध सही पाया गया तत्पश्चात् उसका मूल्यांकन करते हुये ऋण नियमानुसार मूल्यांकन से कम दो बार में प्रदान किया गया है। यहकि प्रथम दृष्टया प्रार्थिनी के विरुद्ध आरोप पत्र में वर्णित धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थिनी द्वारा कोई भी धोखाधड़ी नहीं की गयी है और न ही विवेचना के दौरान इस प्रकार का कोई तथ्य विवेचनाधिकारी द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। मामले की समस्त धाराए मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है और जिनमें अधिकतम दण्ड 7 वर्ष से कम का है। इस मामले में मुख्य आरोपी बनाये गये राजू सेठ जिसके विरुद्ध धारा 419, 420, 406, 120 बी

भा०द०वि० का आरोप था उस समय उसकी नियमित जमानत दिनांक 09.06.2025 ई० को हो गयी थी। बाद में राजू सेठ के विरुद्ध धारा 467, 468, 471 व 409 भा०द०वि० की बढ़ोत्तरी होने के उपरान्त राजू सेठ के जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 688 सन् 2025 ई० पर दिनांक 05.07.2025 ई० को उसकी जमानत हो चुकी है। उक्त मामले में गोल्ड लोन प्राप्त करने वाले सहअभियुक्त कन्हैयालाल तिवारी की जमानत दिनांक 18.08.2025 ई० को जमानत संख्या 745 सन् 2025 ई० पर माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रथम जाँचकर्ता मूल्यांकक राजू सेठ जो सम्बन्धित बैंक का रजिस्टर्ड मूल्यांकक था जिसे बैंक द्वारा स्वयं नियुक्त किया गया था उसे दूसरी बार पुनर्मूल्यांकक करते हुये समय न तो बुलाया गया और न ही उसके सामने पुनर्मूल्यांकक कराया गया है और प्रार्थिनी को पुनर्मूल्यांकन के समय कोई सूचना दी गयी और न ही उपस्थित रहने हेतु उसे कोई नोटिस ही दिया गया। प्रार्थिनी घरेलू महिला है और पति तथा बच्चों के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है बैंक द्वारा प्रार्थिनी के मूल्यवान जेवर को हड़पने की नियत से बैंक मैनेजर कैशियर तथा अन्य बैंक कर्मचारियों ने मिलकर स्वयं धोखाधड़ी किया है कथित पुनर्मूल्यांकक होने के उपरान्त सम्बन्धित जेवर की न तो विडियोग्राफी करायी गयी और न ही उसके राजकीय प्रयोगशाला में भेजा गया।

प्रार्थिनी निर्दोष है झूठे मुकदमें में फंसाया गयी हैं। प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिनी सम्मानित परिवार का सदस्य हैं। प्रार्थिनी जमानत मुचलिका देने के लिए तैयार हैं। अग्रिम जमानत से रिहा होने के बाद जमानत मुचलिके का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण के समय न्यायालय में बजरिये अधिवक्ता उपस्थित रहकर विचारण में सहयोग करेगी। प्रार्थिनी को मुकदमें के विचारण तक के लिये अग्रिम जमानत मुचलिका पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

4. अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति, एक किता जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 745/2025 आदेश दिनांकित 18.08.2025 की प्रति, एक किता जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 598/2025 आदेश दिनांकित 09.06.2025, एक किता जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 688/2025 आदेश दिनांकित 05.07.2025 की प्रति, जी०डी० संख्या 76/2025 की फोटोकापी एवं आरोप पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

5. इसके विरुद्ध विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अभियुक्त के जमानत का विरोध किया गया और दर्शित किया गया कि अभियुक्ता के द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अभियुक्ता के द्वारा जांचकर्ता के साथ मिलकर नकली स्वर्ण आभूषणों को असली के रूप में दिखाकर गलत तरीके से बैंक से स्वर्ण आभूषणों पर ऋण

प्राप्त किया गया है। अभियुक्ता का कृत्य गम्भीर श्रेणी का है। जिसने बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। अभियुक्ता ने जानबूझकर नकली सोने को गिरवी रखकर गोल्ड लोन प्राप्त किया है। इस प्रकार अभियुक्ता ने गम्भीर अपराध कारित किया है।

6. प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

7. इस मामले में पुलिस प्रपत्रों एवं अभियोजन दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्ता की अपराध में भूमिका इस आधार पर बतायी गयी है कि उसके द्वारा स्वर्ण आभूषण को गिरवी रखकर गोल्ड लोन प्राप्त किया गया था, जिसमें उसके द्वारा जांचकर्ता/मूल्यांकनकर्ता राजू सेठ से मिलकर नकली सोना जमाकर उक्त गोल्ड लोन प्राप्त किया गया था।

8. इस मामले में प्रार्थी को केवल इस आधार पर अभियुक्ता बनाया गया है कि उसके द्वारा बैंक में जो स्वर्ण रखकर गोल्ड लोन प्राप्त किया गया था और जब उसके द्वारा वह बैंकिंग नियमों व शर्तों के अनुरूप रखने में विफल रहा तो ऋण खाता बंद हो गया, जिससे ऋण वसूली हेतु आभूषण नीलाम करने की प्रक्रिया के दौरान जब आंतरिक परीक्षण/जांच किया गया तो अभियुक्ता के द्वारा बैंक में जमा किये स्वर्ण नकली पाये गये, किन्तु इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उसका मूल्यांकक से जांच कराया जाना उसके आधार पर लोन दिया जाना दर्शाया गया है। इस मामले में अन्य सहअभियुक्त को दस्तावेज की कूटरचना करते हुये गोल्डलोन दिया जाना दर्शाया गया है, किन्तु दस्तावेज की कूटरचना की गयी है यह दर्शित नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उक्त स्वर्ण आभूषण जिनकी वास्तविकता, शुद्धता व आन्तरिक मूल्य के सम्बन्ध में जांच सत्यापन करने के पश्चात स्वर्ण प्रमाण-पत्र दिया जाता है और आभूषण को बैंक के अभिरक्षा में रखा जाता है। अतः प्रथम दृष्टया इस संबंध में बैंकिंग नियमानुसार उक्त स्वर्ण आभूषण रखा गया है। प्रथम दृष्टया इस मामले में बैंक द्वारा अपनी आन्तरिक परीक्षण रिपोर्ट में अभियुक्त की भूमिका किस आधार पर पायी गयी है यह प्रथम सूचना रिपोर्ट से दर्शित नहीं है। मामले में सम्बन्धित बैंक के मैनेजर व कैसियर को अभियुक्त नहीं बनाया गया है, जबकि उनके द्वारा भी उक्त घटना कारित किये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में अन्य सहअभियुक्त की अग्रिम जमानत हो चुकी है। आरोप-पत्र पेश हो चुका है। विचारण में विलम्ब लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

9. उभय पक्षों को सुनने एवं प्रस्तुत मामले के तथ्यों परिस्थितियों को देखते

हुये न्यायालय इस मत का है कि यह मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है तथा सात वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। अतः इस मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

10. प्रार्थिनी/अभियुक्ता सरिता देवी यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 64 सन् 2025 धारा 419, 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता, थाना ज्ञानपुर, जिला भदोही में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है:-

1. अभियुक्ता विचारण/सुनवाई के दौरान स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होगी।
2. अभियुक्ती किसी प्रकार साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा अथवा साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगी।
3. अभियुक्ता साक्षीगणों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगी।
4. अभियुक्ता के द्वारा पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि के दो सक्षम प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।
5. अभियुक्ता उसी प्रकृति का अपराध जिसका कि किये जाने का उनपर अभियोग है पुनः वह अपराध नहीं करेगी।
6. यदि अभियुक्ता अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने के बाद उपस्थित नहीं होते हैं तो अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आवेदन देने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक-24.03.2026

(लोकेश कुमार मिश्र)
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/
पॉक्सो प्रथम, भदोही ज्ञानपुर।